





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ..... सुरेन्द्र सिंह ..... बनाम ..... पूर्ण सिंह .....  
 किस्म मुकदमा ..... 88/89/180 ..... मु0न0 ..... 172 ..... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
<p>21.06.2021</p> <p>23<sup>7</sup>/<sub>21</sub></p> <p>24<sup>8</sup>/<sub>21</sub></p> <p>18<sup>12</sup>/<sub>21</sub></p> <p>7<sup>3</sup>/<sub>22</sub></p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>वादी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 23.7.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              कोटकासिम         </p> <p>               अनुपस्थित फरीफोन द्वारा अतिव्यवहारगण ने सर्व सम्मन विना बुलाये। पूर्वदिनांक 20/8/21 को पेश होये।         </p> <p>             पिनॉन 23/7/21 से 23/7/21 तक राजकीय अवकाश होने के कारण अगले पत्रावली पेस हुई। वस्तु RAO तलबी पत्रावली पिनॉन 24/8/21 को पेस होये।         </p> <p>             पत्रावली कॅम्प में पेश हुई। पत्रावली का निस्तारण होने से आईन्दा पत्रावली न्यायालय हाजा में दिनांक 7.3.22 को पेश हो।         </p> <p style="text-align: center;">               एस डी ओ/ रीडर         </p> <p>             पत्रावली पेस हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित / वाद-वाक आवाज लगी नहीं। कोई इफ्त नही। वाद अफन-अफन, अफन-पेखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैमल एडवाक लेफ्ट नम्बर से कम हो तब वाद तममील लेख भवता है।         </p>	<p style="text-align: right;">  </p>